भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं.900

दिनांक 11.12.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

अमृत तकनीक

900.# श्री राम नाथ ठाकुर:

श्री नीरज शेखर:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या बिहार सहित देश में पीने के पानी में से आर्सेनिक और धातुओं को हटाने के लिए अमृत तकनीक (भारतीय प्रौद्योगिकी द्वारा आर्सेनिक और धातु निष्कासन) विकसित की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें क्या प्रगति हुई है;

(ग) अब तक प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित आर्सेनिक संदूषण को दूर करने के लिए अमृत संयंत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत 3 वर्षों के दौरान इस योजना हेतु आवंटित धनराशि का वर्ष-वार एवं राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति

(श्री राजीव चन्द्रशेखर)

(क) से (घ): भारत सरकार देश के सभी ग्रामीण परिवारों को पर्याप्त मात्रा में, निर्धारित गुणवत्ता तथा नियमित और दीर्घकालिक आधार पर सुरक्षित और पीने योग्य नल जल आपूर्ति के लिए प्रावधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य के लिए, भारत सरकार ने अगस्त 2019 में राज्यों की भागीदारी में कार्यान्वित किए जाने वाले जल जीवन मिशन (जेजेएम) की शुरुआत की। पेयजल राज्य का विषय है और इसलिए जल जीवन मिशन सहित पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है।

जल जीवन मिशन के शुभारंभ के बाद से ग्रामीण घरों में नल के पानी तक सुविधा बढ़ाने की दिशा में देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत में,

केवल 3.23 करोड़ (16.8%) ग्रामीण घरों में नल जल कनेक्शन होने की सूचना मिली थी। अब तक, 07.12.2023 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, जेजेएम के तहत लगभग 10.53 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 07.12.2023 की स्थिति के अनुसार, देश के 19.24 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 13.76 करोड़ (71.51%) परिवारों के घरों में नल जल की आपूर्ति होने की सूचना मिली है।

पेयजल राज्य का विषय होने के कारण जल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में पाइप द्वारा जलापूर्ति स्कीमों की योजना बनाते समय जल गुणवत्ता के मुद्दों के समाधान के लिए प्रौद्योगिकी का चयन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की जिम्मेदारी है। भारत सरकार आईआईटी जैसे शैक्षिक संस्थानों के साथ सक्रिय रूप से काम कर रही है ताकि ऐसे मुद्दों के समाधान के लिए उपलब्ध विभिन्न प्रौद्योगिकियों पर सलाह प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहायता की जा सके।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) –मद्रास ने जल से आर्सेनिक एवं धातु कणों को हटाने के लिए एक प्रौद्योगिकी नामतः 'अमृत' (भारतीय प्रौद्योगिकी द्वारा आर्सेनिक एवं धातु को हटाना) विकसित की गई है। इस प्रौद्योगिकी में नैनो-स्केल आयरन आक्सी-हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है जो इसके माध्यम से पानी के गुजरने पर उससे आर्सेनिक को अलग करती है। इस जल शुद्धिकरण को घरेलू तथा सामुदायिक दोनों स्तरों पर विकसित किया गया है साथ ही, इस प्रौद्योगिकी की जल एवं स्वच्छता संबंधी बेहतर प्रौद्योगिकीयों की जांच के लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की पूर्ववर्ती 'स्थायी समिति' द्वारा भी सिफारिश की गई है।

जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार आर्सेनिक सहित जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों में वैकल्पिक सुरक्षित जल स्रोतों के आधार पर पाइपगत जल आपूर्ति योजनाओं के शुरू होने तक प्राथमिकता आधार पर अल्पकालिक उपाय उपलब्ध कराया जाना है।

दिनांक 06.12.2023 तक विभाग की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सभी 378 आर्सेनिक प्रभावित बसावटों, जिनके परिवारों को अभी नल जल आपूर्ति उपलब्ध कराई जानी है, को पीने एवं खाना पकाने के प्रयोजन हेतु सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्रों (सीडब्ल्यूपीपी) के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया गया है।

*****